



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2803]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937

No. 2803]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/POSHA 8, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2015

**का.आ. 3524(अ)** .—कारखाना अधिनियम, 1948(1948 का 63) की धारा 41च की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

द्वितीय अनुसूची में, अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“कृछ रेडियोन्यूक्लाइड जिनका धातु पुनःचक्रण उद्योगों में सामान्यतः सामना होता है, के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार अनुमत्य सांद्रता सक्रियता स्तर :

रेडियोन्यूक्लाइड	रेडियोन्यूक्लाइड सांद्रता (बीक्यू/जी)
सी <sub>ओ</sub> 60	0.1
सी <sub>एस</sub> 137	0.1
ए <sub>एम</sub> 241	0.1
आई <sub>आर</sub> 192	1.0

पाद टिप्पण :

1. बीक्यू/जी का अभिप्राय बेक्करल प्रतिग्राम है बेक्करल का अभिप्राय रेडियोन्यूक्लाइड प्रति सेकेन्ड का एक रूपांतरण है और यह रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट है ।

2. मापन में धातु स्क्रेप, अर्धपरिष्कृत और परिष्कृत उत्पादों पर वाह्य विकिरण स्तर और मापन के स्थान पर पृष्ठभूमि स्तर शामिल होंगे और उनका अभिलेख रखा जाएगा। यदि सामान पर विकिरण स्तर पृष्ठभूमि विकिरण स्तर से  $20 \mu\text{R}/\text{घंटा}$  (माइक्रो रेड प्रतिघंटा) से अधिक हो, तो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) को तुरंत अवगत कराया जाएगा।"

[फा. सं. जैड-16025/06/2015-आईएसएच-II]

पार्थ प्रतिम मित्रा, प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार

**टिप्पणी:** कारखाना अधिनियम, 1948 में द्वितीय अनुसूची 1987 के अधिनियम 20, एस.45(1.6.1988 से प्रभावी) द्वारा अंतः स्थापित की गई थी और इसे अंतिम बार का.आ. 3422(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2015

**S.O. 3524(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 41F of the of Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Second Schedule of the said Act, namely:-

In the Second Schedule, the following shall be inserted at the end namely:-

“Permissible activity concentration levels for some of the radionuclides that are commonly encountered in metal recycling industries as given below:

Radionuclide	Radionuclide concentration (Bq/g* )
Co-60	0.1
Cs-137	0.1
Am-241	0.1
Ir-192	1.0

#### Foot Note:

1. Bq/g stands for Becquerel per gram. Becquerel means one transformation of a radionuclide per second; and is the SI unit of radioactivity.
2. Measurement shall comprise external radiation levels on the metal scrap, semi finished and finished products as well as the background levels at the place of measurement and records of the same shall be maintained. If the radiation level on the material exceeds the background radiation level by 20u/hr (Micro Rad per hour), the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) shall be promptly intimated."

[F. No. Z-16025/06/2015-ISH-II]

PARTHA PRATIM MITRA, Pr. Labour & Employment Advisor

**Note:** The second Schedule to the Factories Act, 1948 was inserted by Act 20 of 1987, s.45(w.e.f.1-6-1988) and last amended *vide* number S.O. 3422(E), dated the 4th November, 2013.